

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA
THIRUVANANTHAPURAM

प्र.मले. (लेखापरीक्षा II)/दूरभाष बिल(कार्यालय)/2025-26
PAG (Audit II)/Telephone Bills(Office)/2025-26
दिनांक/Date: 05.03.2025

परिपत्र / CIRCULAR - 50

विषय: भारत सरकार के अधिकारियों को दूरभाष सुविधाओं और प्रतिपूर्ति का प्रावधान – संबंधी ।

Sub: Provision of telephone facilities and reimbursements to officers of GOI – reg.

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय जापन संख्या **24(3)/E.Co-ord/2018** दिनांक **26-03-2018** के अनुसार, भारत सरकार में उप सचिव पद से निचले स्तर और समकक्ष अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12) (समूह-क अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 25% तक सीमित) आवासीय दूरभाष/मोबाइल फोन/ ब्रॉडबैंड/ मोबाइल डेटा/ डेटा कार्ड के दूरभाष कॉल शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं ।

अब, मुख्यालय कार्यालय ने संदर्भ (1) के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त सुविधा भारत सरकार के उप सचिव के पद से निचले स्तर और समकक्ष अधिकारियों (समूह-क अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 25% तक सीमित) को भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में दी जा सकती है । प्रतिपूर्ति की सीमा रु. 1200/- प्रति माह + यथा लागू कर होगी । पात्र समूह-क अधिकारी प्रतिपूर्ति के लिए e-HRMS ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रतिपूर्ति के लिए लेखापरीक्षा II कार्यालय में सिविल और वाणिज्यिक संवर्ग के तहत पात्र समूह-क अधिकारी निम्नलिखित हैं ।

Vide OM No.24(3)/E.Co-ord/2018 dated 26-03-2018 of Ministry of Finance, Department of Expenditure, the officers below the rank of Deputy Secretary and equivalent (Level 12 of Pay Matrix) to the Govt. of India (restricted to 25% of the sanctioned strength of Group-A Officers) are eligible for reimbursement of telephone call charges of residential telephone/mobile phone/broadband/ mobile data/data card.

Now, HQrs office vide reference cited (1) has intimated that the above facility may be extended to the officers below the rank of Deputy Secretary and equivalent to the Government of India (restricted to 25% of the sanctioned strength of Group-A officers) in IA&AD. The limit on reimbursement will be Rs. 1200/- per month + taxes as applicable. The eligible Group –A officials may submit their claims through e-HRMS online portal for reimbursement. The following are the eligible Group-A officers under Civil & Commercial Cadres in Audit II office for reimbursement.

क्र. सं. Sl. No.	अनुभाग Section
1	प्र.मले. के सचिव Secretary to PAG
2	व.लेप.अ. प्रशा./सामान्य/हिंदी SAO Admin/General/Hindi
3	व.लेप.अ. एएमजी-I मुख्या.-I SAO AMG-I HQ-I
4	व.लेप.अ. एएमजी-II मुख्या.-I SAO AMG-II HQ-I
5	व.लेप.अ. एएमजी-III मुख्या.-I SAO AMG-III HQ-I
6	व.लेप.अ. एपीसी कक्ष SAO APC Cell
7	व.लेप.अ. रिपोर्ट एएमजी-I SAO Report AMG-I
8	व.लेप.अ. रिपोर्ट एएमजी-II SAO Report AMG-II
9	व.लेप.अ. रिपोर्ट एएमजी-III SAO Report AMG-III
10	व.लेप.अ. रिपोर्ट एसएफएआर SAO Report SFAR
11	व.लेप.अ. फिनाट SAO FINAT
12	व.लेप.अ. रिपोर्ट कोपू/डीपी कक्ष SAO Report COPU/DP Cell
13	व.लेप.अ. बिल्स/रोकड/हक SAO Bills/Cash/Entitlement
14	डाटा प्रबंधक / व.लेप.अ. आई टी एस Data Manager / SAO ITS

टेलीफोन शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशानिर्देश

Guidelines regarding reimbursement of telephone charges.

1. लैंडलाइन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड/मोबाइल डेटा/डेटा कार्ड के लिए कोई अलग सीमा नहीं होगी। प्रतिपूर्ति योग्य राशि लैंडलाइन और या मोबाइल/ब्रॉडबैंड/मोबाइल डेटा/डेटा कार्ड कनेक्शन को कवर करेगी और निर्धारित सीमा या वास्तविक के अनुसार जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

There will be no separate ceiling for landline/mobile/broadband/mobile data/data card. The amount reimbursable will cover landline and or mobile/broadband/mobile data/data card connection and shall be limited to the ceiling prescribed or as per actuals whichever is lower.

2. अधिकारियों को आवासीय लैंडलाइन/मोबाइल फोन के लिए सेवा प्रदाता और टैरिफ पैकेज चुनने की स्वतंत्रता है। हालांकि, संबंधित अधिकारी द्वारा बिल/रसीद जमा करने पर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

Officers are at liberty to choose the service provider and the tariff package for residential landline/mobile phones. However, the amount shall be reimbursed on submission of bills/receipt by the concerned officer.

3. मोबाइल के लिए प्रतिपूर्ति केवल उस अधिकारी तक ही सीमित होगी जिसके नाम पर मोबाइल कनेक्शन पंजीकृत है।

Reimbursement for mobile will be restricted to the officer in whose name the mobile connection is registered.

4. एक कैलेंडर माह (महीनों) से अधिक की छुट्टी (किसी भी प्रकार की) और प्रशिक्षण के मामले में प्रतिपूर्ति ग्राह्य नहीं होगी।

Reimbursement will not be admissible in case of leave (of any nature) and trainings which are for more than one calendar month(s).

5. ऐसे मामले में जहां पति और पत्नी एक ही आवासीय लैंडलाइन दूरभाष साझा कर रहे हैं और दोनों प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, उनमें से केवल एक को आवासीय लैंडलाइन टेलीफोन के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। मोबाइल फोन शुल्क के लिए दावा प्रत्येक अधिकारी के लिए अलग-अलग माना जाएगा, जो कि हकदार सीमा के अधीन है।

In case where husband and wife are sharing the same residential landline telephone and both are entitled for reimbursement, only one of them will be allowed reimbursement against the residential landline telephone. The claim for mobile phone charges shall be treated separately for each of the officer, subject to the entitled ceiling.

6. यदि किसी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को अनुभाग से बाहर पदस्थापित किया जाता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को तैनात किया जाता है, तो दूरभाष प्रतिपूर्ति उस अधिकारी को प्रदान की जाएगी जिसने उस माह में अधिक दिनों तक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई हो।

If any Sr.AO is posted out from the section and another Sr. AO posted in their place, telephone reimbursement shall be provided to the officer who has attended office on more number of days in that month.

यह आदेश 03 जुलाई 2024 से लागू होगा।

This order will be in force w.e.f 03 July 2024.

(महालेखाकार (लेप.- II) के दिनांक 05/03/2025 के आदेशानुसार / Vide orders of Accountant General (Au-II) Dated: 05/03/2025)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य कक्ष
Senior Audit Officer/General Section

प्रतिलिपि/Copy to:

1. प्र.मले. (लेखापरीक्षा-II) के सचिव / Secy. to PAG (Audit-II)
2. वरि. उप मले.(प्रशा. व एएमजी-I) के निजी सहायक / PA to Sr. DAG (Admn &AMG-I)
3. उप मले.(एएमजी- II) के निजी सहायक / PA to DAG (AMG-II)
4. सभी शाखा अधिकारीगण / All Branch Officers
5. सभी अनुभाग / All Sections
6. सूचना पट्ट / Notice Board